पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 295/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 20.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना कोतवाली, आजमगढ़ : मंदिर की दानपेटिका से दान के पैसे चोरी करने के दौरान अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 20.09.2024 को उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय द्वारा मंदिर परिसर (शिव मंदिर) पुरानी कोतवाली में स्थित दान पेटिका को तोड़कर दान के कुल 1470/- रूपये चोरी करने वाले अभियुक्त अभिषेक मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा निवासी बेलकुन्डा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को मंदिर परिसर से चोरी के रूपयों के साथ समय करीब 01:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 521/24 धारा 305,331(4),317(2) BNS पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 रामकृष्ण सिंह, हे0कां0 सुनील कुमार, हे0कां0 भोलानाथ, कां0 विवेक शाह, कां0 पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।

02-थाना गम्भीरपुर : मुकदमें में वांछित अभियुक्त के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कराया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.05.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी की बहन घर से बिना बताये कही चली गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 160/24 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 17.05.2024 को पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी की गयी तथा पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 366 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त नाजिम पुत्र बदरुद्दीन निवासी ग्राम नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त नाजिम पुत्र बदरुद्दीन निवासी ग्राम नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी किन्तु अभियुक्त न तो गिरफ्तार हो रहा था न ही मा0 न्यायाल में आत्मसमर्पण कर रहा था। जिसके क्रम में दिनांक 14.08.2024 को अभियुक्त नाजिम के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) निर्गत किया गया परन्तु अभियुक्त गिरफ्तार नही हुआ। जिसके क्रम में दिनांक 19.09.2024 को मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा आज दिनांक 20.9.2024 को गवाहों मोहम्मद सिराज पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ व अबूसद पुत्र जौआर अहमद निवासी ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के समक्ष अभियुक्त के घर पर धारा 82 सीआरपीसी की प्रति चस्पा की गई व स्थानीय लोगो के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश से अवगत कराया गया।

03-थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मुकदमों में वांछित 12 वारण्टी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0- 388/2023 धारा 143/152/341/188/383/353 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना फूलपुर से सम्बन्धित वारण्टियों 1. भोला पुत्र हुबई 2.विजयी पुत्र बल्ली उर्फ रामबली 3.सोचन उर्फ अमृतलाल पुत्र नन्दलाल विन्द 4.लल्ला पुत्र जालिम उर्फ कमलेश समस्त निवासी ग्राम सरैया कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 5.रामबचन पुत्र सूर्यबली 6.महेन्द्र पुत्र बासदेव 7.दिलीप कुमार पुत्र बुद्धिराम 8.मोतीलाल पुत्र फूलचन्द 9.अमन पुत्र हंसराज 10.कमलेश पुत्र श्रीराम 11.लालमन पुत्र धनेश्वर 12.रामू पुत्र भागवत समस्त निवासी ग्राम कुशहाँ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा जारी गैरजमानतीय वारण्ट के सम्बन्ध में समय करीब 11:05 बजे हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04-थाना – रौनापार : किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, किशोरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.12.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री घर से गोसाई बाजार समान लेने गयी थी जिसे अभियुक्त मुकेश पुत्र कलिन्द्र बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 420/23 धारा 363, 366 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2024 को उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश पुत्र कलीन्दर निवासी चिलबिली दान चिलबिली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को भैसाड़ पुल से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।